

बिहार सरकार :  
आपदा प्रबंधन विभाग

संख्या: 1प्रा0आ0-21/2018/.....<sup>212</sup>...../आ0प्र0 पटना-15, दिनांक-22/11/19

अधिसूचना

वर्ष 2018 में अनियमित एवं अल्प वर्षापात के कारण उत्पन्न गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य के 24 जिलों के कुल 275 प्रखण्डों को सूखाग्रस्त घोषित करने के निमित्त पूर्व में निर्गत विभागीय अधिसूचना सं० 2898/आ०प्र०, दिनांक-15.10.2018 एवं संशोधित अधिसूचना सं० 3048/आ०प्र० दिनांक-03.11.2018 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है :-

पूर्व में सूखाग्रस्त घोषित किए गए 275 प्रखण्डों के अतिरिक्त बक्सर जिला के इटाही एवं डुमराव प्रखण्ड को भी सूखाग्रस्त घोषित किया जाता है।

अधिसूचना संख्या 2898/आ०प्र०, दिनांक-15.10.2018 संशोधित अधिसूचना सं० 3048/आ०प्र० दिनांक-03.11.2018 की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेंगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(प्रत्यय अमृत)

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1प्रा0आ0-21/2018/.....<sup>212</sup>...../आ0प्र0 पटना-15, दिनांक-22/11/19

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव/ सचिव, कृषि विभाग/ पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/ ग्रामीण विकास विभाग/ ऊर्जा विभाग/ खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/ लघु जल संसाधन विभाग/ जल संसाधन विभाग/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ वित्त विभाग/ सहकारिता विभाग/ मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/ पंचायती राज विभाग/ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/ ग्रामीण कार्य विभाग बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सभी संबंधित विभागों से अनुरोध है कि वे सूखाग्रस्त घोषित प्रखण्डों में अपने विभाग से संबंधित कार्य प्रारम्भ करने हेतु त्वरित कार्रवाई करने की कृपा करेंगे।

प्रधान सचिव

PM

ज्ञापांक 1प्रा0आ0-21 / 2018 / 212 / आ0प्र0 पटना-15, दिनांक- 22/1/19  
प्रतिलिपि: जिला पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु  
प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1प्रा0आ0-21 / 2018 / 212 / आ0प्र0 पटना-15, दिनांक- 22/1/19  
प्रतिलिपि: प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक  
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1प्रा0आ0-21 / 2018 / 212 / आ0प्र0 पटना-15, दिनांक- 22/1/19  
प्रतिलिपि: सरकार के सभी विभाग / विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक  
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1प्रा0आ0-21 / 2018 / 212 / आ0प्र0 पटना-15, दिनांक- 22/1/19  
प्रतिलिपि: संबंधित जिला के प्रभारी सचिव / प्रधान सचिव को सूचनार्थ एवं  
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1प्रा0आ0-21 / 2018 / 212 / आ0प्र0 पटना-15, दिनांक- 22/1/19  
प्रतिलिपि: मुख्य सचिव / विकास आयुक्त / माननीय आपदा प्रबंधन मंत्री के  
आप्त सचिव / माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव / स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन,  
नई दिल्ली / सभी माननीय मंत्री के आप्त सचिव को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1प्रा0आ0-21 / 2018 / 212 / आ0प्र0 पटना-15, दिनांक- 22/1/19  
प्रतिलिपि: अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, वित्त विभाग, बिहार,  
पटना को राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु अधिसूचना की  
प्रति एवं सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है अधिसूचना गजट की सौ प्रति विभाग को उपलब्ध करा दी जाय।

प्रधान सचिव

am